न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जोधपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :– पुखराज कसोटिया आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 87 / 2023

प्रार्थी :–

01. चुकाराम पुत्र श्री चिमनाराम उर्फ लाबूराम जाति कुम्हार निवासी विचलापुरा झालामण्ड जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

01.अमराराम पुत्र श्री चिमनाराम उर्फ लाबूराम जाति कुम्हार निवासी विचलापुरा झालामण्ड जिला जोधपुर।

02.मैसर्स ऐम एशोसियेट खसरा नम्बर 191 दुर्जनिया बास सिरसी रोड जयपुर संस्था।

03.मीरी जागिड पत्नी जोगाराम सुथार निवासी 154 बी आनन्द नगर सिरसी रोड जयपुर।

04.सोमी पुत्री चिमनाराम उर्फ लाबूराम जाति कुम्हार निवासी खेतानगर झालामण्ड जिला जोधपुर।

05.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

01 प्रार्थीगण की तरफ से अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिह चौधरी उपस्थित।

02 अप्रार्थीगण संख्या 1 व 3 की तरफ से अधिवक्ता श्री ईश्वर सिह चम्पावत उपस्थित।

03 शेष अप्रार्थीगण सूचना के बावजूद उपस्थित नही।

निर्णय दिनांक :– 5/2/2024

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी ग्राम बासनी बाधेला तहसील लूणी जिला जोधपुर की सीमा मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 117/78 रकबा 1.6511 हैक्टर भूमि प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की सामलाती खातेदारी की आई हुई है। जिसमे प्रार्थी का 101/204 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 1 का भी 101/204 व अप्रार्थी संख्या 04 का 1/102 हिस्सा खातेदारी मे चला आ रहा था। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 अपने अपने खातेदारी हिस्सो पर सयुक्त रूप से काबिज चले आ रहे थे तथा शन्तिपुर्ण काश्त कर रहे थे। वर्णित विवादग्रस्त भूमि का विभाजन माप व सीमाकंन के आधार पर नही किया गया है तथा समालाती खातेदारी व कब्जेकाश्त मे है लेकिन हिस्से दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बिना मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा करवाये ही अपनी हिस्से की भूमि मे से अप्रार्थी संख्या 2 को 403/2040 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 3 को 287/1501 हिस्सा बेचान कर दिया तथा बाले बाले ही नामान्तरकरण स्वीकृत करवा दिया। अब अजनबी केता संयुक्त खातेदारी भूमि मे जवरदस्ती विशेष भू–भाग पर कब्जा करने की कोशिश करने व निर्माण करने मे उतारू है विवादीत भूमि के 101/204 हिस्से पर प्रार्थी तथा शेष हिस्से पर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 काबिज है प्रार्थी को अपने हक हिस्से व खातेदारी की भूमि पर शांतिपूर्वक कब्जा व खेती करने का पूर्ण अधिकार हैं विवादग्रस्त भूमि मे अजनबी केताओ

तैयारकर्ता

मिलानकर्ता

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

प्रमाणित प्रतिलिपि

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

द्वारा विशेष भू भाग पर कब्जा रक लिया जाता है तथा बिना बंटवाडे के ही भूमि पर कब्जा प्राप्त किया जाता है या निर्माण कर लिया जाता है प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए प्रार्थी द्वारा न्यायालय मे अप्रार्थीगण को पाबन्द करने हेतु एवम्र राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी गण को समन जारी किया गया। अप्रार्थी गण संख्या 1 व 3 की तरफ से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा व अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो पत्रावली किया गया शेष अप्रार्थी गण सूचना के बावजूद उपस्थित नही।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे कथन किया गया कि विवादग्रस्त भूमि खेत ग्राम बासनी बाधेला तहसील लूणी के खसरा नम्बर 117/78 रकबा 1.6511 हैक्टर मे अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पायन्द किया जावे कि प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि मे किसी प्रकार की दखलअन्दाजी नही करे एव मौक व राजस्व रेकार्ड यथास्थिति बनाई रखे विवादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि मूल वाद के निस्तारण तक उक्त भूमि को बेचान नही करे तथा प्रार्थी के कब्जा काश्त मे दखलअन्दाजी नही करे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया ।

अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपने जबाव के तथ्यो को दोहरते हुए बहस मे कथन किया गया कि विवादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम बासनी बाधेला तहसील लूणी मे स्थित खसरा नम्बर 117/78 रकबा 1.6511 हैक्टर भूमि प्रार्थी व अप्राथी सख्या 1 की सयुक्त सहखातेदारी की भूमि आई हुई है लेकिन सहखातेदारी की बीच मौखिक बंटवाडा आपस मे करीब दो साल पूर्व हो चुका है। तथा मौके पर मुटाव भी सहखातेदारी से आपसी सहमति से लगा रखे है प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा बराबर रेवेन्यू रेकर्ड मे चला आ रहा है मौके पर प्रार्थी व अप्राथीगण अपने हक व हिस्से की भूमि पर काबिज है अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने हक व हिस्से की भूमि मे से अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को भूमि बेचान कर कब्जा सुपुर्द किया है इस कारण प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति होने का प्रश्न ही नही उठता है इस कारण से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया गया ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमे न्यायालय हाजा द्वारा दिनाक 27.12.2023 को स्थगन आदेश आगे नही बढाया जाने पर प्राथी अधिवक्ता द्वारा आदेश की अपाल माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष दिनाक 12.01.2024 को अपील पेश की गई अपील मे माननीय न्यायालय सुनवाई करते हुए पारित अपीलाधीन आदेश दिनाक 27.12.2023 की पालना एव प्रभाव को स्थगित किया जाकर उभय पक्ष को आगामी तारीख पेशी दिनांक 12.02.2024 तक पावंन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 117/78 रकबा 1.6511 हैक्टर ग्राम बासनी बाधेला के मौके एव राजस्व रेकर्ड की यथारिथति बनाये रखे अदालत हाजा का उक्त आदेश दिनांक 12.02.2024 के पश्चात स्वत निरस्त माना जावे। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश है कि

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी
लूणी

उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

टंकणकर्ता

वाचनकर्ता

उपखण्ड अधिकारी लूणी

Scanned by CamScanner

वह अपने समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का 1 माह की अवधि मे विधिनुसार अतिम निस्तारण किया जाने का आदेश दिया गया ।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया । पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र गुणावगुण निर्णय इस प्रकार है कि खेत खसरा संख्या 117/78 रकबा 1.6511 हैक्टर ग्राम बासनी बाघेला, पटवार क्षेत्र गुडा विश्नोईयान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर की कृषि भूमि बाबत प्रार्थी एव अप्रार्थी संख्या 1 सं 4 अपने अपने खातेदारी हिस्सा पर सयुक्त रूप से काबिज चले आ रहे थे तथा शान्तिपूर्वक काश्त कर रहे है जिससे प्रार्थी स्वीकार कर रहा है इस कारण प्रार्थी उक्त भूमि को विवादग्रस्त साबित कराने मे असफल रहा। ऐसी स्थिति मे प्रथम दष्ट्या मामला सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष मे नही होना पाया जाता है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होता है।

प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपुर्णनीय क्षति का बिंदु साबित करने में असफल रहे है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर में कम हो।

(पुखराज कांसोटिया, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी
सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी, लूणी

निर्णय आज दिनांक 5/2/2024 को खुले न्यायालय मे सुनाय गया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी
सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी, लूणी

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

प्रमाणित प्रतिलिपि

Scanned by CamScanner